



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 28

28 श्रावण 1942 (श०)
पटना, बुधवार, ———
19 अगस्त 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचनाएं

8 अगस्त 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020(खण्ड-1):-1347—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जीवन अग्रवाल	35वीं	दरभंगा	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना	राज्य कर अपर आयुक्त अपील केंद्रीय प्रमंडल पटना
2.	श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय	36वीं	पटना	राज्य कर अपर आयुक्त अपील केंद्रीय प्रमंडल पटना	राज्य कर अपर आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय पटना
3.	श्री शरत चंद्र	36वीं	मधुबनी	राज्य कर अपर आयुक्त अंकेक्षण मगध प्रमंडल	राज्य कर अपर आयुक्त आर्थिक अंवेक्षण इकाई वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना
4.	श्री विनोद कुमार सिंह	36वीं	वैशाली	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना।	राज्य कर अपर आयुक्त अंकेक्षण मगध प्रमंडल
5.	श्री अमिताभ मिश्रा	36वीं	मुंगेर	वित्त विभाग सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में	राज्य कर अपर आयुक्त, वसूली कोषांग, पटना केन्द्रीय प्रमंडल, पटना।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

8 अगस्त 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020(खण्ड-1):-1348—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विश्वकांत तिवारी	36वीं	रोहतास	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
2.	श्री पूर्णेन्दु कुमार झा	36वीं	मधुबनी	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, बाढ़ अंचल

3.	श्री चौधरी राम नरेश राय	36वीं	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, सारण प्रमंडल, छपरा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल, छपरा।
4.	श्री उमेश कुमार सिंह	36वीं	भागलपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, मगध प्रमंडल, गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया।
5.	श्री विश्वनाथ गुप्ता	36वीं	मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वा0 कर विभाग टी0आर0 यू0	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना, पश्चिमी प्रमंडल
6.	श्रीमती विमला कुमारी	36वीं	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना, पूर्वी प्रमंडल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना
7.	श्रीमती सुनिता कुमारी	36वीं	मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना, पश्चिमी प्रमंडल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी दानापुर अंचल
8.	श्रीमती विजया लक्ष्मी प्रसाद	37वीं	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, बाढ़ अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग टी0 आर0 यू0
9.	डॉ सुनिल कुमार	37वीं	नवादा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना, पूर्वी प्रमंडल
10.	श्री किशोर कुमार सिन्हा	37वीं	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अंवेक्षण इकाई वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा	38वीं	वैशाली	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, पाटलीपुत्रा अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त केंद्रीय अंवेक्षण ब्यूरो मुख्यालय पटना
12.	श्री रिपुंजय झा	38वीं	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त केंद्रीय अंवेक्षण ब्यूरो एवं मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, पाटलीपुत्रा अंचल
13.	श्री अशोक चंद श्रीवास्तव	38वीं	पश्चिमी चंपारण	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वा0 कर विभाग मुख्यालय पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल

14.	श्री आदित्य नारायण	38वीं	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना
15.	अब्दुल्लाह अंसारी	38वीं	सिवान	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
16.	मो० शाहिक	विशेष बैच	नालंदा	राज्य कर संयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्य कर प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल
17.	श्री दीपक कानन	39वीं	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी, दानापुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना
18.	श्री प्रशांत कुमार झा	40वीं	बांका	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना
19.	श्री अमरनाथ चौधरी	39वीं	भागलपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण पटना, पश्चिमी प्रमंडल

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

8 अगस्त 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020(खण्ड-1):-1349—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	42वीं	पटना	राज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, लखीसराय अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी लखीसराय अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
2.	श्री अजीत कुमार	42वीं	पटना	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी रक्सौल अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी रक्सौल अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
3.	श्री अनुप कुमार	42वीं	नालंदा	राज्य कर उपायुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना
4.	श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी	42वीं	रोहतास	राज्य कर उपायुक्त, टी०आर०यू०, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार,	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना

				पटना।	
5.	श्री शशि भानू	42वीं	अररिया	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी झंझारपुर अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी झंझारपुर अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
6.	श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी	द्वितीय सिमित	पटना	राज्य कर उपायुक्त समेकित जाँच चौकी कर्मनाशा संप्रति मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में	राज्य कर उपायुक्त अंकेक्षण सारण प्रमंडल
7.	श्री रविरंजन आलोक	47वीं	जमुई	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी खगड़िया अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी खगड़िया अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
8.	श्री अखिलेश कुमार मिश्र	48-52वीं	दरभंगा	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी तेघड़ा अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी तेघड़ा अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
9.	श्री ओम कुमार सिन्हा	48-52वीं	रोहतास	राज्य कर उपायुक्त प्रभारी सुपौल अंचल	राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी सुपौल अंचल के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित।
10.	श्री रामप्रकाश सिन्हा	48-52वीं	बक्सर	राज्य कर उपायुक्त आर्थिक अंवेक्षण इकाई वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना
11.	श्री रणजीत कुमार रजक	48-52वीं	भोजपुर	राज्य कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय पटना	राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

8 अगस्त 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020(खण्ड-1):-1350—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ललित कुमार	38वीं	पटना	पटना सिटी, पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल
2.	कुमारी अनामिका	53-55वीं	सितामढ़ी	अंकेक्षण केंद्रीय प्रमण्डल	राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार आपदा पुर्ननिवास एवं पुर्ननिर्माण सोसाइटी पटना में उपनिदेशक (वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा सुपुर्द
3.	निवेदिता	53-55वीं	पटना	पटना विशेष अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना।
4.	श्री शिव कुमार	53-55वीं	भागलपुर	पाटलीपुत्रा अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल।

5.	रेणु कुमारी	53-55वीं	पटना	गांधी मैदान अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना।
6.	हेमलता कुमारी	53-55वीं	पटना	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त जहानाबाद अंचल
7.	मो० सब्बीर आलम	53-55वीं	रोहतास	पटना सिटी पूर्वी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना।
8.	श्री राजेश कुमार	तृतीय सीमित	पटना	पटना उत्तरी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय, पटना।
9.	श्री प्रेमचंद भारती	तृतीय सीमित	पटना	अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल	राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल
10.	श्री मनोज कुमार	तृतीय सीमित	पटना	बाढ़ अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त सासाराम अंचल
11.	कुमारी गुंजन भारती	तृतीय सीमित	सितामढ़ी	अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना।
12.	श्री अभिनव कुमार	56-59वीं	पटना	छानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त हाजीपुर अंचल।
13.	श्री मानवेन्द्र सिंह परिहार	56-59वीं	उत्तर प्रदेश	राज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
14.	श्री कमलेश कुमार प्रकाश	56-59वीं	पटना	पटना सिटी पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल
15.	श्री कुणाल कश्यप	56-59वीं	पटना	पटना सिटी पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
16.	श्री असीम कुमार	60-62वीं	पटना	पटना विशेष अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल
17.	गरीमा चौधरी	60-62वीं	पटना	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल
18.	दीपा ज्योति	60-62वीं	पटना	पटना उत्तरी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
19.	अनामिका	60-62वीं	पटना	पटना कदमकुआँ अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

31 जुलाई 2020

सं० वन्यप्राणी-सं०गां०जै०उ०भाग-2Vol-II-32/2015-938(ई०) प०व०ज०प०-देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं इनके वैज्ञानिक प्रबंधन के निमित्त केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेश, 2008 में प्रत्येक चिड़ियाघर में बीमार जानवरों की देख-रेख एवं प्रबंधन के बिन्दु पर चिड़ियाघर प्रशासन को परामर्श देने हेतु एक स्वास्थ्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:-

Constitution of Health Advisory Committee: Despite their best efforts, the Regional Referral Centres identified by the zoos can not help the zoos on dealing with sick animals on day to day basis. For dealing with this Problem, every zoo should have a Health Advisory Committee comprising of experienced veterinarians with a professor of veterinary college, eminent wildlife/zoo veterinarian as its Chairman and the Senior Veterinary Officer of the zoo as its

coordinator. The Committee would advise the zoo on all matters related with sanitation, hygiene, prophylactics, nutrition and management of sick animals. The Committee may opt any other veterinarian or specialist as and when required.

The committee should be kept involved with the visits of the team of the regional Referral Centre to the zoo. It should also be taken into confidence about the implementation of the advice rendered by the Regional referral Centre/ National Referral Centre on treatment and management of sick animals. Zoo Director and the Curator (animal) should be actively involved in the meeting of the health Advisory Committee.

उक्त के आलोक में नवस्थापित राजगीर जू सफारी, राजगीर, नालंदा के लिए स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. डॉ० ए० ए० खान, एम.बी.एस.सी., पी.एच.डी. — अध्यक्ष
पूर्व प्रोफेसर ऑफ सर्जरी,
सेवानिवृत्त डायरेक्टर फॉर रिसर्च, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, एवं
पूर्व डीन एवं प्राचार्य, रॉन्ची वेटनरी कॉलेज, हारून नगर, पटना।
2. डीन, — सदस्य
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
3. निदेशक, — सदस्य
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
4. डॉ० अनुप राय, — सदस्य
सेवानिवृत्त जिला पशुपालक पदाधिकारी, पटना।
5. डॉ० के० पी० मलिक, — सदस्य
सेवानिवृत्त वरीय वैज्ञानिक, आई०वी०आर०आई०,
इज्जतनगर, रायबरेली।
6. डॉ० अलका शरण — सदस्य
सेवानिवृत्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान,
बिहार, पटना।
7. डॉ० अजीत कुमार, — सदस्य
भूतपूर्व पशुचिकित्सा पदाधिकारी,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
8. डॉ० रमेश तिवारी, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग,
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
9. डॉ० ज्ञानदेव सिंह, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग,
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
10. डॉ० पल्लव शेखर, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग,
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
11. डॉ० कौशल कुमार, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग,
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
12. डॉ० मनोज कुमार, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग,
बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
13. डॉ० फरीद अहमद खान, होमियोपैथ चिकित्सक, पटना। — सदस्य
14. पशुचिकित्सा पदाधिकारी, राजगीर जू सफारी, नालंदा। — सदस्य
सचिव

2. यह समिति समय-समय पर राजगीर जू सफारी, नालन्दा के जानवरों की स्वच्छता, पोषण और रख-रखाव, उनकी देखभाल, स्वास्थ्य और उपचार हेतु निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुपालन का अनुश्रवण करेगी तथा सफारी प्रबंधन को इसके संबंध में सलाह देगी।

3. समिति की बैठक तीन माह में कम-से-कम एक बार पटना में होगी। इसके पूर्व सदस्यों को राजगीर जू सफारी का भ्रमण कराया जायेगा। आवश्यकता होने पर राजगीर में बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकेगा।

4.(i) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए रु० 350/- (तीन सौ पचास रुपये) बैठक शुल्क के रूप में देय होगा। मानदेय का पुनरीक्षण विचाराधीन है, संशोधित आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(ii) समिति के सरकारी सदस्यों को बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii) पटना/राजगीर के बाहर से आने वाले विशेषज्ञ राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

31 जुलाई 2020

सं० वन्यप्राणी-सं०गां०जै०उ०भाग-2Vol-II-32/2015-939(ई०) प०व०ज०प०—देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं इनके वैज्ञानिक प्रबंधन के निमित्त केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेश, 2008 में प्रत्येक चिड़ियाघर में बीमार जानवरों की देख-रेख एवं प्रबंधन के बिन्दु पर चिड़ियाघर प्रशासन को परामर्श देने हेतु एक स्वास्थ्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:-

Constitution of Health Advisory Committee: Despite their best efforts, the Regional Referral Centres identified by the zoos can not help the zoos on dealing with sick animals on day to day basis. For dealing with this Problem, every zoo should have a Health Advisory Committee comprising of experienced veterinarians with a professor of veterinary college, eminent wildlife/zoo veterinarian as its Chairman and the Senior Veterinary Officer of the zoo as its coordinator. The Committee would advise the zoo on all matters related with sanitation, hygiene, prophylactics, nutrition and management of sick animals. The Committee may opt any other veterinarian or specialist as and when required.

The committee should be kept involved with the visits of the team of the regional Referral Centre to the zoo. It should also be taken into confidence about the implementation of the advice rendered by the Regional referral Centre/ National Referral Centre on treatment and management of sick animals. Zoo Director and the Curator (animal) should be actively involved in the meeting of the health Advisory Committee.

राज्य में अवस्थित संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-वन्यप्राणी-18/2002-21 (ई०), दिनांक 07.01.2005 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति गठित है। इस समिति के सदस्यों के निधन/सेवानिवृत्ति एवं अधिकतर विदेशों में रहने के कारण समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। अतएव समिति की दिनांक 14.10.2019 को सम्पन्न बैठक में समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता बतायी गई। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 21 (ई०), दिनांक 07.01.2005 को अवक्रमित करते हुए संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के लिए स्वास्थ्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. डॉ० ए० ए० खान, एम.बी.एस.सी., पी.एच.डी. — अध्यक्ष
पूर्व प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, सेवानिवृत्त डायरेक्टर फॉर रिसर्च,
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, एवं पूर्व डीन एवं प्राचार्य,
राँची वेटनरी कॉलेज, हारून नगर, पटना।
2. डीन, — सदस्य
बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।
3. निदेशक, — सदस्य
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
4. डॉ० अनुप राय, — सदस्य
सेवानिवृत्त जिला पशुपालक पदाधिकारी, पटना।
5. डॉ० के० पी० मलिक, — सदस्य
सेवानिवृत्त वरीय वैज्ञानिक, आई०वी०आर०आई०, इज्जतनगर, रायबरेली।

6.	डॉ० अलका शरण सेवानिवृत्त निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना	—	सदस्य
7.	डॉ० अजीत कुमार, भूतपूर्व पशुचिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	—	सदस्य
8.	डॉ० रमेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना	—	सदस्य
9.	डॉ० ज्ञानदेव सिंह, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना	—	सदस्य
10.	डॉ० पल्लव शेखर, सहायक प्राध्यापक, औषधि विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।	—	सदस्य
11.	डॉ० कौशल कुमार, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना।	—	सदस्य
12.	डॉ० मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	—	सदस्य
13.	डॉ० फरीद अहमद खान, होमियोपैथ चिकित्सक, पटना।	—	सदस्य
14.	पशुचिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	—	सदस्य सचिव

2. यह समिति समय-समय पर संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के जानवरों की स्वच्छता, पोषण और रख-रखाव, उनकी देखभाल, स्वास्थ्य और उपचार हेतु निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुपालन का अनुश्रवण करेगी तथा चिड़ियाघर प्रबंधनों को इसके संबंध में सलाह देगी।

3. समिति की बैठक तीन माह में कम-से-कम एक बार होगी। आवश्यकता होने पर समिति का अध्ययन कार्यक्रम एवं बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकेगा।

4.(i) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए रु० 350/- (तीन सौ पचास रुपये) बैठक शुल्क के रूप में देय होगा। मानदेय का पुनरीक्षण विचाराधीन है, संशोधित आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(ii) समिति के सरकारी सदस्यों को बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii) पटना के बाहर से आने वाले विशेषज्ञ राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

समाहरणालय, बक्सर
(स्थापना शाखा)

आदेश

2 फरवरी 2020

सं० 28/2020-21—मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन पूर्व में जिला योजना कार्यालय के माध्यम से किया जाता था। इस योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य जिला नजारत शाखा, बक्सर को हस्तांतरण किये जाने के पश्चात् जिला नजारत उप समाहर्ता, बक्सर द्वारा उक्त कार्य को श्री पंकज कुमार सिंह, (निलंबित एवं काराधीन) तत्कालीन लिपिक—सह—सहायक नाजीर, जिला नजारत शाखा, बक्सर को आवंटित किया गया। श्री पंकज कुमार सिंह, लिपिक द्वारा जिला योजना कार्यालय से पंजी, संबंधित संचिका एवं चेकबुक प्राप्त किया गया था।

जिला नजारत शाखा के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना खाता संख्या 3877000100083229, District Infrastructure Development Agency C/O District Magistrate के नाम से पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा में संधारित है। उक्त खाता से श्री पंकज कुमार सिंह, लिपिक—सह—सहायक नाजीर, जिला नजारत शाखा, बक्सर के द्वारा चेक पर नजारत उप समाहर्ता, बक्सर एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर का फर्जी हस्ताक्षर कर निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न चेकों द्वारा भिन्न-भिन्न राशि की निकासी की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	चेक संख्या/ निर्गत तिथि	राशि	निकासी की तिथि	चेक किसके पक्ष में निर्गत है।
1.	509777 / 09.03.2015	1265000.00	09.03.15	Pankaj Kumar Singh
2.	509781 / 27.03.2015	85000.00	27.03.15	Pankaj Kumar Singh
3.	509785 / 09.04.2015	1093565.00	09.04.15	Pankaj Kumar Singh
4.	509788 / 13.05.2015	1163000.00	13.05.15	Pankaj Kumar Singh
5.	509789 / 06.07.2015	1261340.00	06.07.15	Pankaj Kumar Singh
6.	509796 / 13.10.2015	884569.00	13.10.15	Pankaj Kumar Singh
7.	509798 / 21.11.2015	1281769.00	21.11.15	Pankaj Kumar Singh
8.	509799 / 27.01.2016	1365723.00	27.01.16	Pankaj Kumar Singh
9.	222962 / 23.02.2016	1478981.00	23.02.16	Pankaj Kumar Singh
10.	222967 / 26.04.2016	1695629.00	26.04.16	Pankaj Kumar Singh
कुल योग		11574576.00		

इस प्रकार श्री सिंह द्वारा सरकारी राशि मो० **11574576.00** (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौहतर हजार पाँच सौ छिहतर) रुपये अपने निजी बैंक खाता के माध्यम से गबन किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा चेक संख्या **222968**, दिनांक **03.05.2016** जिसकी राशि **1836961.00** रुपये था, को अपने नाम से निर्गत कर जिला पदाधिकारी एवं नजारत उप समाहर्ता, बक्सर का फर्जी हस्ताक्षर कर अपने निजी खाता में क्लीयरेंस कराने हेतु जमा किया गया था।

दिनांक **05.05.2016** को पंजाब नेशनल बैंक के सहायक प्रबंधक द्वारा श्री कन्हैया लाल, जिला नाजीर से दूरभाष पर पूछ-ताछ किया गया। जिसके प्रारंभिक जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त राशि गबन करने की मंशा से अपने निजी खाता में क्लीयरेंस कराने हेतु जमा किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है। राशि गबन करने के आरोप में श्री सिंह को जिला नजारत शाखा के आदेश संख्या **01/2016-17**, संसूचित ज्ञापांक **08-0379**, दिनांक **05.05.2016** द्वारा निलंबित किया गया है।

नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के पत्रांक **08-0411**, दिनांक **20.05.2016** द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध तीन प्रतियों में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित प्राप्त कराया गया था।

प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में श्री पंकज कुमार सिंह, लिपिक –सह– सहायक नाजीर (निलंबित एवं काराधीन) जिला नजारत शाखा, बक्सर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' सक्षम प्राधिकार के स्तर से अनुमोदित नहीं रहने के कारण उक्त आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही आदेश ज्ञापांक **01-0921/स्था०**, दिनांक **10.06.2019** से संचालित करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा नजारत उप समाहर्ता, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया।

अपर समाहर्ता-सह-संचालन पदाधिकारी, बक्सर ने अपने पत्रांक **03-0221/रा०**, दिनांक **22.01.2020** से विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत जाँच अभिलेख प्राप्त कराया गया है, जिसमें आरोप, आरोपी कर्म का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :-

आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्नवत् है :-

1. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित कार्यो का निष्पादन पूर्व में जिला योजना कार्यालय के माध्यम से किया जाता था। इस योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश ज्ञापांक **21-0314/जि०**, दिनांक **05.07.2014** द्वारा जिला विकास शाखा को स्थानान्तरित किये जाने एवं तदनुसार प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, बक्सर के आदेश ज्ञापांक **05-2616**, दिनांक **17.12.2014** के द्वारा रोकड़ पंजी के संधारण हेतु प्राप्त निदेश के क्रम में नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के आदेश ज्ञापांक **08-0018/नजा०**, दिनांक **14.01.2015** द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह को उक्त कार्य आवंटित किया गया, जिस क्रम में जिला योजना कार्यालय से संबंधित रोकड़ बही, चेकबुक पंजी, चेकबुक एवं संचिकाओं का प्रभार जिला योजना कार्यालय के कार्यवाहक नाजीर श्री राजेश कुमार राय से दिनांक **27.01.2015** को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है।

2. जिला नजारत शाखा के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का खाता संख्या **3877000100083229**, District Infrastructure Development Agency C/O District Magistrate, Buxar

के नाम से पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा में संधारित है। प्रभार ग्रहण के उपरांत मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित चेक निर्गमन का कार्य चेकपंजी एवं संचिका के माध्यम से आपके द्वारा किया जाता रहा है। दिनांक **05.05.2016** को पंजाब नेशनल बैंक के सहायक प्रबंधक द्वारा श्री कन्हैया लाल, जिला नाजीर को दूरभाष से अपराहन **1.53** बजे सूचित किया गया कि चेक संख्या **222968**, दिनांक **03.05.2016** जो पंकज कुमार सिंह के नाम से निर्गत है, वह बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री पंकज कुमार सिंह के खाता संख्या **31200100018651** में जमा करने हेतु क्लीयरेंस के लिए आया है, जिसकी राशि **1836961.00** (अठारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ एकसठ) रुपये है। जिला नाजीर श्री कन्हैया लाल द्वारा स्वयं बैंक शाखा में जा कर चेक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त चेक पर नजारत उप समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर है, जिस पर पंकज कुमार सिंह का नाम अंकित है। स्पष्टतः श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सरकारी राशि गबन करने की मंशा से उक्त चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तुत किया गया है, जो सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल है।

3. उपरोक्त फर्जी हस्ताक्षर युक्त चेक के अवलोकन से संदेह परिलक्षित होने पर जिला नाजीर द्वारा खाता की छानबीन हेतु खाता संख्या **3877000100083229** का पूर्ण विवरण पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त किया गया। विवरण के अनुसार श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न चेकों द्वारा भिन्न-भिन्न राशि की निकासी की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	चेक संख्या/ निर्गत तिथि	राशि	निकासी की तिथि	चेक किसके पक्ष में निर्गत है।
1.	509777 / 09.03.2015	1265000.00	09.03.15	Pankaj Kumar Singh
2.	509781 / 27.03.2015	85000.00	27.03.15	Pankaj Kumar Singh
3.	509785 / 09.04.2015	1093565.00	09.04.15	Pankaj Kumar Singh
4.	509788 / 13.05.2015	1163000.00	13.05.15	Pankaj Kumar Singh
5.	509789 / 06.07.2015	1261340.00	06.07.15	Pankaj Kumar Singh
6.	509796 / 13.10.2015	884569.00	13.10.15	Pankaj Kumar Singh
7.	509798 / 21.11.2015	1281769.00	21.11.15	Pankaj Kumar Singh
8.	509799 / 27.01.2016	1365723.00	27.01.16	Pankaj Kumar Singh
9.	222962 / 23.02.2016	1478981.00	23.02.16	Pankaj Kumar Singh
10.	222967 / 26.04.2016	1695629.00	26.04.16	Pankaj Kumar Singh
कुल योग		11574576.00		

मो० नासीर हुसैन, वरीय उपसमाहर्ता दिनांक **31.03.15** तक जिला नजारत के प्रभार में थे। तत्पश्चात दिनांक **01.04.15** से अधोहस्ताक्षरी (राजेश कुमार सिंह) नजारत के प्रभार में है। श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता –सह– नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के प्रभार अवधि में भी दिनांक **09.04.15**, **13.05.15** एवं **06.07.15** को मो० नासीर हुसैन का जाली हस्ताक्षर कर फर्जी चेक भुनाया गया है।

इस प्रकार श्री सिंह ने जालसाजी से नजारत उप समाहर्ता नासीर हुसैन, राजेश कुमार सिंह एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर श्री रमण कुमार का फर्जी हस्ताक्षर कर जानबूझकर सरकारी राशि मो० **11574576.00** (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौहतर हजार पाँच सौ छिहतर) रुपये का अपने निजी बैंक खाता के माध्यम से गबन किया है, जिससे सोची समझी साजिश परिलक्षित होती है।

4. श्री सिंह द्वारा एकाउन्ट पेयी चेक पंकज कुमार सिंह के नाम से निर्गत कर अपने निजी खाता में जमा किया गया, जबकि उक्त खाता मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित है और इस खाते के माध्यम से केवल कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरौव के नाम से ही चेक निर्गत किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष के नाम से इस खाते से कोई भी चेक निर्गत नहीं किया जाता है, परन्तु श्री सिंह द्वारा ‘‘पंकज कुमार सिंह’’ स्वयं के नाम से चेक निर्गत कर चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी राशि के गबन की मंशा से अवैध निकासी कर ली गई है। किसी पदाधिकारी यथा नजारत उप समाहर्ता, जिला पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जो श्री पंकज कुमार सिंह के जालसाज एवं षडयंत्रकारी प्रवृत्ति का द्योतक है।

5. खाता संख्या **3877000100083229** का दिनांक **06.04.2016** को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट एवं जिला नाजीर द्वारा दिनांक **05.05.2016** को प्राप्त किये गये बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्राप्त कराया गया बैंक स्टेटमेंट फर्जी तरीके से तैयार कर नजारात शाखा में उपलब्ध कराया गया है। उक्त स्टेटमेंट में “पंकज कुमार सिंह” नाम से चेक के माध्यम से निकासी की गई राशि को अंकित नहीं किया गया है। फर्जी तरीके से की गई अवैध निकासी के लिए आपके द्वारा बैंक स्टेटमेंट में छेड़-छाड़ कर तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया है, जो इरादतन कार्यालय को धोखा देने का परिचायक है।

6. उक्त घटनाक्रम के उपरांत श्री सिंह का पक्ष जानने हेतु खोज किये जाने पर पाया गया कि श्री सिंह लगभग **2.30** से ही कार्यालय में नहीं है तथा कार्यालय से अनुपस्थिति हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। श्री सिंह के मोबाइल सं० **8986364107** एवं **9128558211** पर जिला नाजीर एवं नजारात उप समाहर्ता द्वारा संपर्क करने पर प्रारंभ में मोबाइल व्यस्त रहने का संकेत मिला, परन्तु बाद में मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक **05.05.2016** के अपराह्न **2.30** बजे से कार्यालय से लगातार अनुपस्थित है। मामले का खुलासा होते ही मोबाइल स्वीच ऑफ करके अचानक कार्यालय से गायब हो जाना सरकारी राशि की अवैध निकासी जैसे कुकृत्य का द्योतक है।

7. दिनांक **06.04.16** को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा प्राप्त किये गये बैंक खाता विवरणी से चेकपंजी एवं रोकड़बही मिलान करने के क्रम में पाया गया कि दिनांक **02.09.15** को प्राप्त सूद **374308.00** रु० चेक पंजी के पृष्ठ संख्या **03** पर अंकित किया गया है एवं सहायक रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या **24** पर भी सूद की राशि **374308.00** रु० अंकित किया गया है। इसी प्रकार उक्त खाता विवरणी में दिनांक **06.03.16** को प्राप्त सूद **369409.00** रु० मात्र को चेक पंजी के पृष्ठ संख्या **03** पर एवं सहायक रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या **24** पर सूद की राशि **369409.00** रु० मात्र अंकित किया गया है। दिनांक **05.05.16** को मामला प्रकाश में आने के पश्चात बैंक खाता सं० **3877000100083229** का दिनांक **05.05.16** को खाता विवरणी प्राप्त किया गया, जिसमें दिनांक **06.03.16** को सूद की राशि **261533.00** रु० प्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि उक्त बैंक विवरणी में सूद की राशि में छेड़छाड़ करते हुए चेक पंजी एवं रोकड़ बही में दिनांक **31.03.16** को अवषेश राशि **19370475.00** रु० मात्र का सही सत्यापन कराकर श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा कार्यालय को गुमराह किया गया है एवं चेक पंजी तथा रोकड़ बही में भी गलत प्रविष्टि की गयी है, जो सही तथ्य छिपाने की मंशा से सरकारी अभिलेख में छेड़-छाड़ का परिचायक है।

आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण :-

पूर्व में संचालित विभागीय कार्रवाही वाद संख्या **01/2016-17** में मेरे द्वारा ससमय अपना पक्ष रखा गया है, परन्तु वर्तमान में विभागीय कार्यवाही में मेरे द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, यह बात सर्वथा गलत है। अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास है कि मैं विभागीय कार्रवाही के संचालन में पूर्ण सहयोग करूँ, परन्तु परिस्थिति यह है कि लम्बे समय कारा में व्यतित होने के फलस्वरूप अपना पक्ष रखने में परेशानी महसूस कर रहा हूँ। कारा अवधि **3 वर्ष 7 माह** व्यतित होने के बाद सामान्य तथा सामाजिक कार्यकलाप में भी अपने को असहज महसूस करने लगता है। यह मामला लेखा से संबंधित है, इसमें अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से रखने हेतु मुझे कुछ कागजातों की जरूरत होगी जो मेरे पास नहीं हैं पूर्व में मेरे द्वारा दिया गया कारण पृच्छा में मेरे परिजन के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कुछ कागजात प्राप्त कर मुझे उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर पूर्व के विभागीय कार्रवाई में मेरे द्वारा अपना पक्ष रखने का प्रयास मात्र किया गया था, अधूरे कागजातों के आधार पर पूर्ण पक्ष नहीं।

वर्तमान में संचालित विभागीय कार्रवाई में अनुरोध है कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-**3/एम०-15/2012-9407** दिनांक **02.07.2012** के विन्दु पर **4(क)** के **(1)** के अनुसार नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों का विचार करने की कृपा की जाय। इस पत्र में **4(क)** के **(1)** में निम्नांकित उल्लेखित है :-

"Audi alteram partem means hear the other party अर्थात् किसी को भी उसका पक्ष सुने वगैर दोषी नहीं माना जाना चाहिए "

इस मामले में दिनांक **05.05.2016** को मेरे विरुद्ध मामला दर्ज होने के उपरान्त दिनांक **10.05.2016** को न्यायालय में प्रत्यार्पण करने के फलस्वरूप तब से आज तक मैं काराधीन हूँ। निगरानी कोर्ट में मेरे विरुद्ध पारित आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील वाद **3801/2018** दायर है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, मेरे जमानत के विन्दु पर माननीय न्यायालय में माह-जनवरी में सुनवाई है।

इस मामले में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में **CWJC No.-22369/2019** पंकज कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार दायर किया गया था, जिसमें दिनांक **09.12.2019** को पारित आदेश का वेब कॉपी संलग्न कर रहा हूँ। इस

आदेश में भवदीय के समक्ष अपना पक्ष इस वाद में कारा में रहते हुए नहीं रख पाने तथा तब तक विभागीय कार्रवाई स्थगित रखने संबंधी अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-7538/2014 मो० अब्दुल्ला अयूबी बनाम बिहार सरकार में दिनांक 28.05.2014 को पारित आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है, जिसमें कारा में रहने पर विभागीय कार्रवाई के स्थगन का आदेश है।

इस मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(7) की अनदेखी की गयी है। माह जनवरी, 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत के बिन्दु पर सुनवाई को देखते हुए अनुरोध करना है कि कारा अवधि तक मुझे कारण पृच्छा से मुक्त रखने की कृपा की जाय।

आरोपित कर्मी श्री सिंह के द्वारा विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 01/2016-17 जो उन्हें आरोपों के संबंध में प्रारम्भ की गई थी, जिन आरोपों के लिए वर्तमान विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, में अधीक्षक आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर पटना के पत्रांक 9704/कारा, दिनांक 25.10.2018 के द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कराया गया है, जो निम्नवत है :-

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से राशि गबन का मामला एक सुनियोजित षडयंत्र है, जिसमें मुझे जानबुझकर फँसाया गया है। इस मामले में एफ०आई०आर० जो मेरे विरुद्ध दायर हुआ, जिसके आई०ओ० डी०एस०पी० बनाये गये तथा जिला स्तरीय एक जाँच समिति बनाई गयी, जिसके अध्यक्ष डी०डी०सी० साहब थे। इन दोनों जाँच एजेंसी को षडयंत्रकारी ने जैसे चाहा वैसे जाँच प्रतिवेदन लिया। इन दोनों जाँच एजेंसियों ने मात्र मुझे केन्द्र बिन्दु मानकर जाँच किये और मेरे विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिये। इस मामले में कुछ पहलू से श्रीमान को अवगत कराना चाहूँगा।

1. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, बक्सर के ज्ञापांक 05-2616, दिनांक 17.12.2014 का कृपया अवलोकन करने की कृपा करें, जिसका उल्लेख आरोप पत्र प्रपत्र "क" के आरोप क्रमांक-1 में किया गया है।

इस पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के रोकड़ बही का संधारण जिला योजना शाखा में होता है। जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक 16.12.2014 के द्वारा इस योजना के रोकड़ बही का संधारण जिला नजारत शाखा, बक्सर में करने का आदेश दिया गया है। पत्र में स्पष्ट है कि जिला नाजीर रोकड़ बही का प्रभार जिला योजना के नाजीर से प्राप्त करें।

2. नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के ज्ञापांक 08-0018/नजा०, दिनांक 14.01.2015 का कृपया अवलोकन करने की कृपा की जा सकती है। इस पत्र के द्वारा नजारत में पदस्थापित लिपिकों के बीच कार्यो का बंटवारा किया गया है।

इस पत्र में मेरे नाम के सामने दिये गये कार्य प्रभार को अंकित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से विकास योजना लेखा एवं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना लेखा का कार्य हैं।

3. मेरे द्वारा दिनांक 27.01.2015 को जिला योजना शाखा के नाजीर श्री राजेश कुमार राय से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित रोकड़ बही को प्राप्त किया गया है।

मेरे द्वारा अंकित उपर्युक्त विन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 के अवलोकनोपरान्त एवं अध्ययनोपरान्त साधारण तौर उठने वाला सवाल।

(क) जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा जिला विकास शाखा के संचिका संख्या XXXVI-02-2014 पर दिनांक 16.12.2014 को दिये गये आदेशानुसार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का रोकड़ बही का प्रभार जिला नाजीर को प्राप्त करना या तो किस आदेश से नजारत उप समाहर्ता, बक्सर ने अपने ज्ञापांक 08-0018/नजा०, दिनांक 14.01.2015 के द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का कार्य मुझे आवंटित कर दिये।

(ख) क्या नजारत उप समाहर्ता बक्सर को यह अधिकार था कि वे जिला पदाधिकारी के आदेश को संशोधित कर सकते थे ?

(ग) यदि नहीं तो नजारत उप समाहर्ता बक्सर ने किस संचिका में जिला पदाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त किये थे कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना कार्य मुझे आवंटित करना है ?

(घ) नजारत उप समाहर्ता, बक्सर को नजारत शाखा में निष्पादित होने वाले कार्यो को वहाँ पदस्थापित लिपिकों के बीच कार्य बंटवारे का अधिकार प्राप्त है।

जब दिनांक 14.01.2015 तक मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, जिला योजना शाखा में संधारित होता था तो दिनांक 14.01.2015 के कार्य बंटवारा में मेरे नाम के सामने अंकित करने का अधिकार नजारत उप समाहर्ता महोदय कहीं से प्राप्त किये थे ?

4. नजारत उप समाहर्ता के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में मुझे विकास योजना के लेखा को भी करना था, मुझसे पूर्व इस लेखा का संधारण श्री कन्हैया लाल जिला नाजीर करते थे।

मेरे द्वारा दिनांक 27.01.2015 को जिला योजना शाखा से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित रोकड़ बही प्राप्त करने के बाद जिला नाजीर के द्वारा दिनांक 16.02.2015 को मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की प्रविष्टि (Entry) विकास योजना लेखा के सामान्य रोकड़ बही में किया गया।

सामान्य रोकड़ बही के छाया प्रति में दिनांक 16.02.2015 की प्रविष्टि कृपया द्रष्टव्य।

इस प्रकार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के लेखा को भी विकास योजना के लेखा में शामिल किया गया। जिला नाजीर के द्वारा स्वयं इन पंजियों का संधारण किया जाता था। सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि मेरे लिखावट में पंजी का संधारण दिनांक 17.07.2015 से किया गया है।

5. श्रीमान् यहाँ उल्लेखित करना है कि विकास योजना लेखा के संधारण हेतु जिला नजारत शाखा बक्सर में कुल 13 सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book) का संधारण किया जाता था तथा सभी 13 सहायक रोकड़ बही की समेकित प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही में होता था।

जिला नजारत बक्सर में संधारित विकास योजना के लेखा से संबंधित **General Cash Book** के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि जिस मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना में गबन की बात कही गयी है, उसका भी संधारण विकास योजना हेतु संधारित **General Cash Book** में किया गया है।

6. इसी सामान्य रोकड़ बही में एक अन्य योजना शहरी विकास योजना को संधारित किया जाता रहा है, इस योजना के दिनांक 31.03.2015 के अंत शेष (Closing Balance) के तरफ श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस योजना में दिनांक 31.03.2015 का अंतशेष 5,07,86,092.60 मो0 (पांच करोड़ सात लाख छियासी हजार बानबे) रुपये साठ पैसे हैं।

शहरी विकास योजना हेतु तीन बैंको में खाता संधारित है, जो निम्नांकित है :-

क्र0	बैंक का नाम	खाता सं0	दिनांक 31.03.15 का शेष
1	2	3	4
1	बैंक ऑफ बड़ौदा, बक्सर	31200100008721	4,80,04,125.00
2	केनरा बैंक, बक्सर	8533101003468	1,09,21,108.00
3	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बक्सर	70230100061392	4,70,771.60
	कुल		5,93,96,004.60

इस प्रकार श्रीमान पायेंगे कि इस योजना में कुल 86,09,912.00 (छियासी लाख नौ हजार नौ सौ बारह) रुपये की बढ़ोतरी बैंक खाते में है।

शहरी विकास योजना हेतु संधारित चेक पंजी नजारत शाखा से मांग कर अवलोकन करने से श्रीमान को स्पष्ट हो जायेगा कि केनरा बैंक के खाता सं0 8533101003468 में ही बढ़ोतरी की 86,09,912.00 रुपये सन्निहित है।

7. जिला नजारत शाखा से निर्गत पत्रांक 08-0426/नजा0 दिनांक 16.06.2015 जो कि कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को निर्गत है कि प्रति कार्यालय से प्राप्त कर अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा कि केनरा बैंक के खाता संख्या 8533101003468 में राशि बढ़ी हुई है।

मेरे द्वारा उपर्युक्त अंकित विन्दु सं0 4 से 7 तक में उल्लेखित तथ्यों से श्रीमान पायेंगे कि निम्नांकित प्रक्रिया दोषपूर्ण है :-

(च) दिनांक 16.02.15 को जिला नाजीर द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के रोकड़ बही की प्रविष्टि विकास योजना लेखा हेतु संधारित सामान्य रोकड़ बही में दर्ज करने हेतु कोई आदेश प्राप्त किये थे अथवा नहीं?

(छ) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की प्रविष्टि विकास शाखा के सामान्य रोकड़ बही में करने का जिला नाजीर का उद्देश्य क्या था?

(ज) शहरी विकास योजना में बढ़ी हुई राशि मेरे पूर्व तथा जिला नाजीर के कार्यकाल का है।

(झ) जिला नाजीर के द्वारा बढ़ी हुयी राशि का तथ्य उच्चाधिकारी से छिपाने का मकसद क्या था?

8. दिनांक 05.05.2016 को इस गबन के मामले को प्रकाश में आने के बाद तथा मेरी अनुपस्थिति के बाद मुझसे संबंधित आलमारी को किसी सक्षम पदाधिकारी के देख-रेख में खुलवाकर इन्वेन्ट्री सूची तैयार करना चाहिये था परन्तु जान बुझ कर यह कार्य नहीं किया गया। इस आलमारी तथा नजारत शाखा में रखे प्रत्येक आलमारी का उपयोग जिला नाजीर स्वयं करते थे। आलमारी में जाली बैंक स्टेटमेन्ट कहाँ से आया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सभी बैंको से बैंक स्टेटमेन्ट नाजीर ही नजारत के एक अनुसेवक श्री राधा प्रसाद से मँगवाते थे तथा उसी बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर चेक पंजी में मेरे द्वारा सुद की राशि को दर्ज किया गया है।

9. मेरे द्वारा कभी भी अपने उच्चाधिकारी का जाली हस्ताक्षर नहीं बनाया गया है।

10. मेरे छदम नाम से बैंक खाता खोलकर किसी षडयंत्र के तहत मुझे फँसाया गया है इस पूरे घटना क्रम से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है।

11. दिनांक 05.05.16 को मैं कार्यालय में उपस्थित था। यदि यह मामला प्रकाश में आया तो मुझसे इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाई करना चाहिये था, परन्तु अगले दिन के कार्यालय अवधि का इन्तजार किये बिना ही दिनांक 05.05.16 को ही देर रात्रि F.I.R दर्ज कराना भी षडयंत्र का ही हिस्सा है। मेरा कोई मोबाईल बंद नहीं था।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :-

उपस्थापन पदाधिकारी -सह- नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के पत्रांक 08-0509/नजा0 दिनांक 13.07.2019 के द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह, निलंबित लिपिक, जिला नजारत शाखा, बक्सर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद संख्या-03/2019-20 में अपना मंतव्य साक्ष्य सहित प्राप्त कराया गया है, जो निम्नवत है :-

जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश ज्ञापांक 08-0379/नजा0 दिनांक 05.05.16 के आलोक में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के सरकारी खाता संख्या 3877000100083229 पंजाब नेशनल बैंक, बक्सर से फर्जी तरीके से 11574576.00 रु0 मात्र सरकारी राशि के गबन के मामले में इस कार्यालय के पत्रांक 080411/नजा0 दिनांक 20.05.16 के द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक नाजीर, जिला नजारत शाखा, बक्सर के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया था।

पुनः जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश संख्या 18/2019-20 संसूचित ज्ञापांक 01-0921/स्था0, दिनांक 10.06.2019 के आलोक में भवदीय पत्रांक 03-1028/रा0 दिनांक 19.06.19 के संदर्भ में श्री पंकज कुमार सिंह, निलम्बित लिपिक, जिला नजारत शाखा, बक्सर सम्प्रति काराधीन, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर पटना का कार्यालय (स्थायी पता ग्राम+पो0-पृथ्वीपुर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद सं0 03/2019-20 में साक्ष्य/अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

इस संदर्भ में उल्लेखित करना है कि पूर्व में पत्रांक 03-2355/रा0 दिनांक 09.08.2018 के आलोक में श्री पंकज कुमार सिंह, निलम्बित लिपिक, जिला नजारत शाखा, बक्सर सम्प्रति काराधीन, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर पटना का कार्यालय (स्थायी पता ग्राम+पो0-पृथ्वीपुर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद सं0 01/2016-17 में साक्ष्य/पक्ष अंकित/संलग्न करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 08-0714/नजा0, दिनांक 24.08.18 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उपस्थापित किया गया है।

पुनः पत्रांक 03-3043/रा0 दिनांक 03.11.2018 के आलोक में विभागीय कार्यवाही वाद सं0 01/2016-17 में याचित साक्ष्य/पक्ष कंडिकावार अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 08-0032(मु0)/नजा0, दिनांक 06.11.2018 के द्वारा उपस्थापित किया गया है।

पुनः प्रासंगिक पत्रांक 03-1028/रा0 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह, निलम्बित लिपिक, जिला नजारत शाखा, बक्सर सम्प्रति काराधीन, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर पटना का कार्यालय (स्थायी पता ग्राम+पो0-पृथ्वीपुर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही वाद सं0 03/2019-20 में याचित साक्ष्य/पक्ष अधोहस्ताक्षरी से मॉग की गयी है, जो निम्नांकित है :-

क्र०	आरोप	साक्ष्य
1.	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित कार्यो का निष्पादन पूर्व में जिला योजना कार्यालय के माध्यम से किया जाता था। इस योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश ज्ञापांक 21-0314/जि0यो0, दिनांक 05.07.14 द्वारा जिला विकास शाखा को स्थानान्तरित किये जाने एवं तदनुसार प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, बक्सर के आदेश ज्ञापांक 05-2616, दिनांक 17.12.2014 के द्वारा रोकड़ पंजी के संधारण हेतु प्राप्त निदेश के क्रम में नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के आदेश ज्ञापांक 08-0018/नजा0 दिनांक 14.01.2015 द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह को उक्त कार्य आवंटित किया गया, जिस क्रम में जिला योजना कार्यालय से संबंधित रोकड़ बही, चेकबुक पंजी, चेकबुक एवं संचिकाओं का प्रभार जिला योजना कार्यालय के कार्यवाहक नाजीर श्री राजेश कुमार राय से दिनांक 27.01.2015 को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है।	साक्ष्य आरोप प्रमाणित होता है।
2.	जिला नजारत शाखा के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का खाता संख्या 3877000100083229, District Infrastructure Development Agency C/O District Magistrate, Buxar के नाम से पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा में संधारित है। प्रभार ग्रहण के उपरांत मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित चेक निर्गमन का कार्य चेकपंजी एवं संचिका के माध्यम से आपके द्वारा किया जाता रहा है। दिनांक 05.05.2016 को पंजाब नेशनल बैंक के सहायक प्रबंधक द्वारा श्री कन्हैया लाल, जिला नाजीर को दूरभाष से अपराहन 1.53 बजे सूचित किया गया कि चेक संख्या 222968, दिनांक 03.05.2016 जो पंकज कुमार सिंह के नाम से निर्गत है, वह बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री पंकज कुमार सिंह के खाता संख्या 31200100018651 में जमा करने हेतु क्लीयरेंस के लिए आया है, जिसकी राशि 1836961.00 (अठारह लाख छतीस हजार नौ सौ एकसठ) रुपये है। जिला नाजीर श्री कन्हैया लाल द्वारा स्वयं बैंक शाखा में जा कर चेक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त चेक पर नजारत उप समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर है, जिसपर पंकज कुमार सिंह का नाम अंकित है। स्पष्टतः श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सरकारी राशि गबन करने की मंशा से उक्त चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तुत किया गया है, जो सरकारी कर्मों के आचरण के प्रतिकूल है।	आरोप प्रमाणित होता है।

3.

उपरोक्त फर्जी हस्ताक्षर युक्त चेक के अवलोकन से संदेह परिलक्षित होने पर जिला नाजीर द्वारा खाता की छानबीन हेतु खाता संख्या **3877000100083229** का पूर्ण विवरण पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त किया गया। विवरण के अनुसार श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न चेकों द्वारा भिन्न-भिन्न राशि की निकासी की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	चेक संख्या / निर्गत तिथि	राशि	निकासी की तिथि	चेक किसके पक्ष में निर्गत है।
1.	509777 / 09.03.2015	1265000.00	09.03.15	Pankaj Kumar Singh
2.	509781 / 27.03.2015	85000.00	27.03.15	Pankaj Kumar Singh
3.	509785 / 09.04.2015	1093565.00	09.04.15	Pankaj Kumar Singh
4.	509788 / 13.05.2015	1163000.00	13.05.15	Pankaj Kumar Singh
5.	509789 / 06.07.2015	1261340.00	06.07.15	Pankaj Kumar Singh
6.	509796 / 13.10.2015	884569.00	13.10.15	Pankaj Kumar Singh
7.	509798 / 21.11.2015	1281769.00	21.11.15	Pankaj Kumar Singh
8.	509799 / 27.01.2016	1365723.00	27.01.16	Pankaj Kumar Singh
9.	222962 / 23.02.2016	1478981.00	23.02.16	Pankaj Kumar Singh
10.	222967 / 26.04.2016	1695629.00	26.04.16	Pankaj Kumar Singh
कुल योग		11574576.00		

मो० नासिर हुसैन, वरीय उप समाहर्ता दिनांक **31.03.15** तक जिला नजारत के प्रभार में थे। तत्पश्चात दिनांक **01.04.15** से अधोहस्ताक्षरी (राजेश कुमार सिंह) नजारत के प्रभार में है। श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर —सह— नजारत उप समाहर्ता, बक्सर के प्रभार अवधि में भी दिनांक **09.04.15, 13.05.15** एवं **06.07.15** को मो० नासिर हुसैन का जाली हस्ताक्षर कर फर्जी चेक भुनाया गया है। इस प्रकार श्री सिंह ने जालसाजी से नजारत उप समाहर्ता नासिर हुसैन, राजेश कुमार सिंह एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर श्री रमण कुमार का फर्जी हस्ताक्षर कर जानबूझकर सरकारी राशि मो० **11574576.00** (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौहतर हजार पाँच सौ छिहतर) रुपये का अपने निजी बैंक खाता के माध्यम से गबन किया है, जिससे सोची समझी साजिश परिलक्षित होती है।

तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता श्री नासीर हुसैन तथा श्री राजेश कुमार सिंह से उक्त मामले में स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जिसके आलोक में तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता श्री नासीर हुसैन तथा श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि वर्णित चेकों पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति जिला गोपनीय शाखा / स्थापना शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

4.

श्री सिंह के द्वारा एकाउन्ट पेयी चेक पंकज कुमार सिंह के नाम से निर्गत कर अपने निजी खाता में जमा किया गया, जबकि उक्त खाता मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित है और इस खाते के माध्यम से केवल कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमराँव के नाम से ही चेक निर्गत किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष के नाम से इस खाते से कोई भी चेक निर्गत नहीं किया जाता है, परन्तु श्री सिंह द्वारा “पंकज कुमार सिंह” स्वयं के नाम से चेक निर्गत कर चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी राशि के गबन की मंशा से अवैध निकासी कर ली गई है। किसी पदाधिकारी यथा नजारत उप समाहर्ता, जिला पदाधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जो श्री पंकज कुमार सिंह के जालसाज एवं षडयंत्रकारी प्रवृत्ति का द्योतक है।

आरोप प्रमाणित होता है।

5.

खाता संख्या **3877000100083229** का दिनांक **06.04.2016** को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट एवं जिला नाजीर द्वारा दिनांक **05.05.2016** को प्राप्त किये गये बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्राप्त कराया गया बैंक स्टेटमेंट फर्जी तरीके से तैयार कर नजारत शाखा में उपलब्ध कराया गया है। उक्त स्टेटमेंट

आरोप प्रमाणित होता है।

	में "पंकज कुमार सिंह" नाम से चेक के माध्यम से निकासी की गई राशि को अंकित नहीं किया गया है। फर्जी तरीके से की गई अवैध निकासी के लिए आपके द्वारा बैंक स्टेटमेंट में छेड़-छाड़ कर तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया है, जो इरादतन कार्यालय को धोखा देने का परिचायक है।	
6.	उक्त घटनाक्रम के उपरांत श्री सिंह का पक्ष जानने हेतु खोज किये जाने पर पाया गया कि श्री सिंह लगभग 2.30 से ही कार्यालय में नहीं है तथा कार्यालय से अनुपस्थिति हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। श्री सिंह के मोबाईल सं० 8986364107 एवं 9128558211 पर जिला नाजीर एवं नजारात उप समाहर्ता द्वारा संपर्क करने पर प्रारंभ में मोबाइल व्यस्त रहने का संकेत मिला परन्तु बाद में मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 05.05.2016 के अपराहन 2.30 बजे से कार्यालय से लगातार अनुपस्थित है। मामले की खुलासा होते ही मोबाईल स्वीच ऑफ करके अचानक कार्यालय से गायब हो जाना सरकारी राशि की अवैध निकासी जैसे कुकृत्य का द्योतक है।	आरोप प्रमाणित होता है।
7.	दिनांक 06.04.16 को श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा प्राप्त किये गये बैंक खाता विवरणी से चेकपंजी एवं रोकड बही मिलान करने के क्रम में पाया गया कि दिनांक 02.09.15 को प्राप्त सूद 374308.00 रु० चेक पंजी के पृष्ठ संख्या 03 पर अंकित किया गया है एवं सहायक रोकड बही के पृष्ठ संख्या 24 पर भी सूद की राशि 374308.00 रु० अंकित किया गया है। इसी प्रकार उक्त खाता विवरणी में दिनांक 06.03.16 को प्राप्त सूद 369409.00 रु० मात्र को चेक पंजी के पृष्ठ संख्या 03 पर एवं सहायक रोकड बही के पृष्ठ संख्या 24 पर सूद की राशि 369409.00 रु० मात्र अंकित किया गया है। दिनांक 05.05.16 को मामला प्रकाश में आने के पश्चात बैंक खाता सं० 3877000100083229 का दिनांक 05.05.16 को खाता विवरणी प्राप्त किया गया, जिसमें दिनांक 06.03.16 को सूद की राशि 261533.00 रु० प्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि उक्त बैंक विवरणी में सूद की राशि में छेड़छाड़ करते हुए चेक पंजी एवं रोकड बही में दिनांक 31.03.16 को अवशेष राशि 19370475.00 रु० मात्र का सही सत्यापन कराकर श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा कार्यालय को गुमराह किया गया है एवं चेक पंजी तथा रोकड बही में भी गलत प्रविष्टि की गयी है, जो सही तथ्य छिपाने की मंशा से सरकारी अभिलेख में छेड़-छाड़ का परिचायक है।	आरोप प्रमाणित होता है।

पुलिस अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक 2736, दिनांक 23.06.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "अनुसंधान, पर्यवेक्षण—सह— प्रतिवेदन 02 से यह कांड धारा 409/420/467/468/469/471/472/474/477(ए)/120(बी)/34 भादवि एवं 13(1)(सी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंकज कुमार सिंह के अतिरिक्त उनके भाई/बहनोई/संबंधी/सहयोगी (जिनके खातों में अभि० पंकज कुमार सिंह के बतायेनुसार गबन की गई राशि को जमा की गई है) के विरुद्ध सत्य पाया गया है।"

उपर्युक्त फर्जी तरीके से सरकारी राशि के गबन के मामले में विशेष वित्त अंकेक्षण कराया गया। विशेष वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 17/16-17 के कंडिका संख्या 05 में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि "श्री पंकज कुमार सिंह, तत्कालिन सहायक नाजीर, नजारात शाखा, बक्सर द्वारा सुनियोजित ढंग से छल कपटपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक, बक्सर के खाता सं० 3877000100083229 से 10 (दस) चेकों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बक्सर के अपने व्यक्तिगत बचत खाता सं० 31200100018651 में अवैध तरीके से राशि स्थानान्तरित कराकर कुल 11574576.00 (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौहर हजार पाँच सौ छिहत्तर) रु० मात्र का गबन किया पाया गया।"

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :-

आरोपित कर्मी श्री पंकज कुमार सिंह, निलंबित लिपिक, जिला नजारात शाखा, बक्सर के द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के आलोक में अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना के पत्रांक 15041, दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से जो स्पष्टीकरण प्राप्त कराया गया है, उसमें उनके द्वारा माह जनवरी, 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत के बिन्दु पर सुनवाई को देखते हुए कारा अवधि तक कारण पृच्छा से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 01/2016-17 उन्हीं आरोपों के संबंध में प्रारम्भ की गई थी, जिन आरोपों के लिए वर्तमान विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 03/2019-20 प्रारम्भ की गई है। पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 01/2016-17 में श्री सिंह के द्वारा काराधीन रहते हुए भी ससमय अपना पक्ष रखा गया है, परन्तु वर्तमान में विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार श्री पंकज कुमार सिंह, निलंबित लिपिक, जिला नजारात शाखा, बक्सर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र-क में उल्लेखित आरोप, श्री सिंह के द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोप के संबंध में पूर्व में उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य तथा अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट है कि श्री सिंह के विरुद्ध मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित राशि 1,15,74,576/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ छिहत्तर) रुपये के गबन के आलोक में प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।

श्री सिंह के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापक 01-0263/स्था०, दिनांक 05.02.2020 से अभ्यावेदन की मांग की गई परन्तु ससमय अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः

ज्ञाप सं० 01-0452/स्था०, दिनांक 27.02.2020 से अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग किये जाने पर पुनः ज्ञाप सं० 01-0801/स्था०, दिनांक 25.04.2020 से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया, परन्तु श्री सिंह द्वारा ससमय अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सिंह को ज्ञाप सं० 01-0966/स्था०, दिनांक 13.06.2020 से अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से मौका देते हुए 15 दिनों का समय दिया गया। इस प्रकार आरोपी कर्मी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त मौका भी दिया गया है।

श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि निलंबन के पश्चात से इस मामले में दो बार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। वर्तमान के विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी महोदय से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था कि लंबे समय से कारा में रहने तथा कोई कागजात उपलब्ध नहीं रहने तथा निकट भविष्य में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने की कृपा की जाय, परन्तु संचालन पदाधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व के ही विभागीय कार्यवाही में समर्पित आवेदन को आधार मानकर विभागीय कार्यवाही के संचालन को पूर्ण कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित किया गया है।

दिनांक 29.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सजा एवं अर्थदण्ड को अपील वाद के लंबित रहने तक निलंबित करने तथा मेरे जमानत होने से बदली हुई परिस्थिति में अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील वाद सं० 3801/2018 के निष्पादित होने तक मुझे निलम्बन से मुक्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में कहना है कि श्री सिंह को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के फलस्वरूप दिनांक 03.02.2020 को आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना से रिहा होने के पश्चात संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन की मांग की गई है। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 03/एम०-162/05-का०-2324, दिनांक 10.07.2007 एवं प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के पत्रांक नि०वि०/स्था० -178/10-2717, दिनांक 07.05.2010 में निदेश प्राप्त है कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी चलाई जानी है।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपर समाहर्ता-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित कारणपृच्छा से भिन्न कोई तथ्य अपने बचाव पक्ष में नहीं दिया गया है।

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन/अधिगम से यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री पंकज कुमार सिंह, लिपिक द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है, जो एक सरकारी सेवक का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 के प्रतिकूल है। इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिए इन्हें कठोरतम दण्ड देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर इन्हें कठोर दण्ड नहीं दिया जाता है तो अन्य लोक सेवकों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अतएव श्री सिंह सेवा में बने रहने योग्य नहीं हैं।

अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में मैं, **अमन समीर, भा०प्र०से०**, समाहर्ता -सह- जिला दण्डाधिकारी, बक्सर श्री पंकज कुमार सिंह, निलंबित लिपिक, जिला नजारत शाखा, बक्सर के विरुद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन/अधिगम के समीक्षोपरान्त आरोपित कर्मी के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए आरोपित कर्मी श्री पंकज कुमार सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित-2007 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से **“बर्खास्तगी” (DISMISSAL)** जो “सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता इन्हें देय होगा, की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करता हूँ। श्री सिंह को इसके अलावा पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ देय नहीं होगा।

श्री पंकज कुमार सिंह से संबंधित पूर्ण विवरणी निम्नवत है :-

1. नाम :- श्री पंकज कुमार सिंह
2. पिता का नाम :- स्व० राम बहोर सिंह
3. पदनाम :- लिपिक
4. जन्म तिथि :- 12.10.1974
5. नियुक्ति तिथि :- 15.01.1997
6. वेतनमान :- 9300-34800
7. स्थायी पता :- ग्राम+पो०-पृथ्वीपुर, जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी, बक्सर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>